भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2808

बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम</u>

2808. श्रीमती डिंपल यादव:

श्री पुष्पेंद्र सरोज: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में उन कस्बों/शहरों का ब्यौरा क्या है जहाँ अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत ज़िला-वार कितनी निधि स्वीकृत और संवितरित की गई है;

(ख) उत्तर प्रदेश में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित बायोमास (खोई रहित) सह-उत्पादन परियोजनाओं की ज़िला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कोई ब्रिकेट/पेलेट विनिर्माण संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उत्तर प्रदेश में स्थापित बायोगैस संयंत्रों की संख्या कितनी है और उनके लिए जिला-वार आवंटित, स्वीकृत और संवितरित निधि कितनी है; और

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को सहायता देने और राज्य में बायोगैस संयंत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(ख) उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात तथा मुजफ्फरनगर जिले में कुल 02 बायोमास (खोई रहित) सह-उत्पादन परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है।

(ग) उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में कुल तीन ब्रिकेट/पेलेट परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के बायोगैस और अपशिष्ट से ऊर्जा उप-घटक के अंतर्गत स्थापित बायोगैस संयंत्रों का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के संरेखण में उत्तर प्रदेश सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो-कोयला इत्यादि के उत्पादन में सहयोग करने के लिए राज्य में जैव ऊर्जा नीति-2022 की शुरूआत की है ताकि राज्य के साथ-साथ देश में कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम किया जा सके। यूपीएनईडीए (UPNEDA) से प्राप्त सूचना के अनुसार, नीति के प्रमुख बिंदु **अनुलग्नक-IV** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक-I

'उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2808 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

एनबीपी के दौरान डब्ल्यूटीई के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा:

जिला	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत सीएफए (करोड़ रुपए में)
बहराइच	1	1.00
बाराबंकी	1	10.00
बरेली	2	9.17
बुलंदशहर	1	2.50
गोरखपुर	1	10.00
हापुड़	1	4.67
कन्नौज	1	2.00
कानपुर देहात	1	2.00
कुशीनगर	1	1.67
लखीमपुर खीरी	1	1.60
मेरठ	2	14.98
मुजफ्फरनगर	2	11.83
प्रयागराज	1	10.00
सहारनपुर	1	5.00
कुल	**17**	**86.41**

एनबीपी के दौरान डब्ल्यूटीई कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किए गए सीएफए का जिला-वार ब्यौरा (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25)

जिला	परियोजनाओं की संख्या	जारी सीएफए (करोड़ रुपए में)
बरेली	1	2.08
हापुड़	1	4.67
लखनऊ	1	1.80
मेरठ	1	4.98
मुजफ्फरनगर	3	16.50
कुल	**7**	**30.03**

<u>अनुलग्नक-II</u>

'उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2808 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

क्र. सं.	नाम	राज्य	जिला	प्रकार	क्षमता (टन प्रति घंटा)
1	श्री आरआर बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज	उत्तर प्रदेश	आगरा	ब्रीकेट	8
2	मेसर्स एपी एंटरप्राइज	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	ब्रीकेट	2
3	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	ब्रीकेट	1.5

अनुलग्नक-III

'उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2808 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

उत्तर प्रदेश राज्य में जिला-वार आवंटित, स्वीकृत और वितरित की गई निधियों के साथ-साथ बायोगैस संयंत्रों की संख्याः

क्र. सं.	जिले का नाम	स्थापित बायोगैस संयंत्रों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपए में)	वितरित धनराशि
1	बागपत	2	0.29	0
2	बाँदा	6	0.86	0
3	बरेली	59	8.46	0
4	बस्ती	68	9.76	0
5	बिजनौर	12	1.72	0
6	इटावा	1	0.14	0
7	फर्रुखाबाद	1	0.14	0
8	फिरोजाबाद	3	0.43	0
9	गाजीपुर	1	0.14	0
10	गोरखपुर	1	0.14	0
11	जालौन	1	0.14	0
12	झांसी	1	0.14	0
13	खेरी	10	1.43	0
14	मैनपुरी	3	0.43	0
15	मथुरा	1	0.14	0
16	मेरठ	6	0.86	0
17	मुजफ्फरनगर	23	3.30	0
18	पीलीभीत	35	5.02	0
19	प्रयागराज	22	3.16	0
20	रामपुर	66	9.47	0
21	सहारनपुर	36	5.17	0
22	शाहजहांपुर	52	7.46	0
23	सीतापुर	1	0.14	0
24	सोनभद्र	36	5.17	0
	कुल	**447**	**64.11**	**0**

अनुलग्नक-IV

'उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2808 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-IV

जैव ऊर्जा नीति, 2022 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता:

- कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) 75 लाख रुपये प्रति टन से अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक।
- जैव-कोयला 75,000 रुपये प्रति टन से अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक।
- बायो-डीजल 3 लाख रुपये प्रति किलोलीटर से अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक।
- जैव ऊर्जा उद्यमों को 10 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में 100% छूट।
- 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निवेश के साथ अधिकतम 5 किलोमीटर संपर्क मार्ग के निर्माण पर वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
- बेलर, रैकर और ट्रॉलर उपकरणों की खरीद पर लागत का 30%, अधिकतम 20 लाख रुपये तक राज्य सब्सिडी उपलब्ध है। यह सब्सिडी कृषि मशीनीकरण योजना में केन्द्र सरकार से मिलने वाली 50% सब्सिडी के अतिरिक्त उपलब्ध होगी, जो संयंत्रों के लिए फीडस्टॉक संग्रह की आपूर्ति श्रृंखला में सहायक होगी और पराली जलाने से रोकेगी।
- विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्कों पर छूट।
- स्टाम्प शुल्क में 100% छूट।
- नीति के अंतर्गत, कुल 157 सीबीजी परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जिनमें 47 परियोजनाओं को राज्य से स्वीकृति मिली है, जिनकी संचयी क्षमता 1214 टीपीडी है। अब तक 27 सीबीजी संयंत्र (संचयी क्षमता 230 टन प्रतिदिन) स्थापित किए जा चुके हैं।
- तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, एचपीसीएल, गेल, पेट्रोनेट एलएनजी, बीपीसीएल और ओएनजीसी) की कुल 16 सीबीजी परियोजनाओं को लगभग ~300 एकड़ सरकारी भूमि प्रदान की गई है और ये निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

*****